

आवेदन फॉर्म
हाउसिंग एक्ट 2004

मल्टीपल ऑक्यूप्शन(एच. एम. ओ)से और सलेक्टिव लाइसेन्सिंग
में हाउसेज के लाइसेन्सिंग से सम्बन्धित अपील और आवेदन पत्र

यह अनिवार्य है कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले नीचे दिए गए नोट्स को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि आप अनुलग्नक 1 (पेज 8) पर सूचीबद्ध कोई प्रार्थना पत्र रोजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) को देने के बारे में नीयत करना चाहते हैं तो यह सही तरीका है।

कृपया सेक्शन 13 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ ना भेजें। यदि या जबभी कभी किसी साक्ष्य की जरूरत होगी तो आपको अलग से भेजने के लिए कहा जाएगा। कृपया इस आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भर कर फीस तथा बताए गए निश्चित दस्तावेजों सहित उचित रेंट असेसमेंट पैनल को भेजें (पैनल पते के लिए अनुलग्नक 3 पेज 11 देखें)। यदि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए या रोजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) के बारे में आपके कोई- प्रश्न हैं, कृपया हमें इस नम्बर पर फोन करें **0845 600 3178**

मार्गदर्शन नोट

यह प्रयुक्त शब्द "आवेदन पत्र" अपील तथा प्रार्थना पत्रों की ओर संकेत करता है जो कि इस फॉर्म के अनुलग्नक 1 (पेज 7) पर दर्ज है।

1. निवेदक(कों) का ब्योरा

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड सहित): _____

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टैलीफोन:दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____

ईमेल का पता: _____

क्षमता (जैसे कि लैण्डलॉर्ड, स्वामी, हाउसिंग आफिसर) _____

प्रतिनिधि का ब्योरा: _____

जहां प्रतिनिधि का ब्योरा दिया गया है, सारा पत्रव्यवहार और आदान प्रदान उन्ही के साथ होगा जब तक ट्रिब्यूनल को सूचित नहीं किया जाता कि वह आगे के लिये कार्य वाहक नहीं हैं।

2. विषयोक्त सम्पत्ति का पता (पोस्ट कोड सहित)

3. सम्पत्ति का संक्षेप मे वर्णन (जैसे कि: विकटोरिअन मैनशॉन बलॉक 12 फलेटो के साथ) और सम्पत्ति के साथ आवेदक का सम्बन्ध

4. प्रतिवादी (यो) का ब्योरा (यदि निर्णय या आर्डर के विरुध अपील की जा रही हो तो सामान्य स्तर पर प्रतिवादी ही लोकल हाउसिंग एथोरिटी का जारीकर्ता होगा)

नाम: _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टैलीफोन: दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____
ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) _____ फ़ैक्स: _____
क्षमता (जैसे कि लैण्डलॉर्ड, स्वामी, हाउसिंग आफिसर) : _____

5. लैण्डलार्ड का ब्योरा (यदि पहले नहीं दिया गया)

नाम: _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

टैलीफोन: दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____
ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) _____ फ़ैक्स: _____

6. किसी इच्छुक व्यक्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट जारी करें)

नाम : _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

नाम : _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

नाम : _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

मार्गदर्शन नोट

कोई इच्छुक या दूसरे व्यक्ति इस पोसीडिंग में आवेदक या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहते हैं , यदि आप उनका नाम और पता जानते हैं तो यहाँ जरूर दर्ज करने चाहिए । कोई इच्छुक या दूसरा व्यक्ति या सम्पत्ति सम्बंधित लोकल हाउसिंग एथोरिटी (अगर वो पहले से प्रतिवादी है) तो वे अपील या आवेदन पत्र देने के पात्र हैं ।

7. आवेदन पत्र का प्रारूप

कृपया प्रार्थना पत्र के उस प्रारूप का उल्लेख करें जो आप बनाना चाहते हैं। ये रेजीडेन्शियल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) की मदद करेगा यदि आप इस आवेदन पत्र की लिस्ट में दिए गए अनुलग्नक 1 (पेज 7) का इस्तेमाल कर सकते हैं और सम्बन्धित आवेदन पत्र का नम्बर और वर्णन दर्शा सकते हैं।

यह आवेदन पत्र के प्रारूप पर निर्भर करता है। ट्रिब्यूनल को इसमें तथ्यों की सच्चाई की जानकारी पाने में विश्वस्त सूचनाये सहायता करती है। कृपया (ए) तथा (बी) प्रश्नों को पढ़ें और यथोचित रूप से पूरा करें।

अगर आप अपने लोकल हाउसिंग अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो वो निर्णय कब हुआ और आपने उसके बारे में कब जाना?

कृपया अपने आवेदन पत्र में " आवेदन का आधार" नामक संलग्न प्रोफार्मे (पेज 6) पर अपने केंस का आधार लिखें।

मार्गदर्शन नोट

आवेदन के लिए समय सीमा का निर्धारण अनुलग्नक 1 (पेज 7) पर लिखा गया है।

8. अन्य आवेदन पत्र

क्या आप किसी अन्य हाउसिंग एक्ट 2004 के आवेदन पत्र से जुड़े हैं या क्या आप किसी दूसरे आवेदन पत्र के बारे में जानते हैं जो इस प्रार्थना पत्र में दी गई प्रॉपर्टी या स्वामी के बारे में हो तो कृपया विस्तार से बताएं।

9. क्या हम बिना सुनवाई के आपके आवेदन के साथ निपट सकते हैं?

यदि ट्रिब्यूनल उपयुक्त समझे, और सभी पार्टीयां स्वीकार करें, यह हो सकता है कि आपके आवेदन पर केवल लिखित प्रतिवेदन के आधार पर विचार किया जाये।

कृपया हमें बताएं यदि ट्रिब्यूनल इसे उपयुक्त समझे तो क्या आप अपने आवेदन को कागज़ पर हल करने से खुश हैं।

हां नहीं

नोट करें: चाहे आपने कागज़ी कार्यवाही से फ़ैसला करने के लिये कहा हो ट्रिब्यूनल निर्णय ले सकती है कि सुनवाई जरूरी है। आप अन्तिम पादान पर भी सुनवाई के लिए विनती कर सकते हैं।

कृपया इस प्रपत्र को यह मानकर पूरा करें कि इसकी सुनवाई होगी।

10. अपील/आवेदन पत्र की अत्यावश्यकता

हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या इस केंस को शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है। कृपया हमें ये बतायें कि क्या इस केंस के निष्कर्ष की विशेष शीघ्रता है यदि हां तो क्यों?

11. उपलब्धि

यदि कोई ऐसे दिन या तारीखें हैं जिन्हें अगले तीन महीने में प्रयोग करने से हम गुरेज करें तो (आपकी सहूलियत के लिये या किसी गवाह माहिर की सहूलियत के लिये जिसे आप बुलाना चाहते हैं) कृपया उनकी सूची यहां दें।

तारीखें जिनपर आप उपलब्ध नहीं होंगे:

12. स्थान की आवश्यकता

यदि आपकी या आपके साथ आने वाले किसी की कोई खास आवश्यकताये हैं तो कृपया उनका ब्योरा प्रदान करें (जैसे कि व्हील चेअर का प्रयोग/या दुभाषीये का मौजूद होना):

लंडन में, कंस आम तौर पर कंस अल्फ्रेड प्लेस में सुने जाते हैं जो पूरी तरह व्हील चेअर द्वारा पहुँच के योग्य हैं। अन्य स्थानों पर, सुनवाई लोकल सम्मेलन स्थानों में होती है जो सभी इतनी आसानी से पहुँच के योग्य नहीं हैं और क्लर्कों को यह जानना लाभकारी लगेगा यदि आपकी या आपके साथ सुनवाई पर आने वाले किसी की इस प्रकार की कोई खास जरूरत है।

13. दस्तावेज

आपके आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद आपके कंस की सहायता हेतु आपसे दस्तावेजों के नम्बर (जैसे बण्डल से संदर्भित) प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यद्यपि इस स्थिति में आपको इस फार्म के अनुलग्नक 2 (पेज 9) में कहे गए दस्तावेज जरूर लगाने चाहियें जो दिए जाने वाले आवेदन पत्र से सम्बंधित हैं। इन दस्तावेजों को लगाने में असफल रहने पर आपका प्रार्थना पत्र देने के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल को अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पडने पर आपको बाद में कहा जाएगा।

14. शुल्क

अधिकांशतया आवेदक £150 की फीस की ओर ध्यान देते हैं। कृपया "क्या फीस देय है" की निश्चितता के लिए अनुलग्नक 1 (पेज 7) देखें।

15. चैकलिस्ट /जाँच सूची

कृपया चैक करें :

- कि आपने यह फार्म पूरी तरह से भरा है। ट्रिब्यूनल तब तक आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं करेगा जब तक यह नहीं होता। कृपया निश्चित करें कि आपके आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों और फीस की प्रतिलिपी दोनों लगाये हैं:
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपी संलग्न की गई है।
- फीस(यदि देय है) हेतु क्रॉसड चैक या पोस्टल आर्डर संलग्न है। कृपया जो चैक आप भेजें उसके पीछे अपना नाम और पता लिख दें।

किसी भी स्थिति में नकद राशि ना भेजें। नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी और किसी भी आवेदन के साथ नकद राशि होने

पर आवेदन पत्र वापस भेज दिया जाएगा। फीस हेतु क्रॉसड चैक या पोस्टल आर्डर" द डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिटीस एण्ड लोकल गवर्नमेंट" के पक्ष में भेजें।

शुल्क माफी

अगर आप निश्चित आय से सम्बंधित लाभ प्राप्त करते हैं तब आप फीस माफी का आवेदन पत्र देने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रार्थना पत्र के साथ पैनल ऑफिस से संपर्क करें और वे आपको निश्चित लाभ की पात्रता का फार्म भेजेंगे।

16. सच्चाई का ब्यान

मेरा यकीन है कि इस आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य हैं।

हस्ताक्षर:

नाम (बड़े अक्षरों में):

तिथी:

मुख्य आवेदन पत्र के पार्ट 7 में दर्ज सूचनाओं को बताने के लिए कृपया नीचे दिये स्थान का प्रयोग करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का आधार (यदि जरूरत हो तो कृपया अलग शीट का प्रयोग करें)

अनुलग्नक 1: हाउसिंग एक्ट 2004 के अधीन रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों की सूची

यह सूची केवल हाउसिंग मल्टीपल ऑक्यूपेशन और सलेक्टिव लाइसेन्सिंग में हाउसेज के लाइसेन्सिंग के तथ्यों से सम्बन्धित है। क्रम संख्या के प्रथम कॉलम में (*) चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ फीस की आवश्यकता है।

शब्दों का संक्षिप्त रूप :

एल.एच.ए = लोकल हाउसिंग अथोरिटी

एच. एम. ओ = हाउसेज इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन

क्रम संख्या	हाउसिंग एक्ट 2004 की धाराएं	आवेदन पत्र का प्रकार	अपील की समय सीमा जहां उल्लेख किया हो
1*	सेक्शन 62 (7)	टेम्परेरी एक्समिशन नोटिस एक्ट के पार्ट 2 के अन्तर्गत टेम्परेरी एक्समिशन नोटिस को स्वीकार करने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
2*	अनुसूची 5 पैरा 31(1)	पार्ट एच.एम.ओ लाइसेन्स एक्ट के पार्ट 2 के अन्तर्गत लाइसेन्स के ग्रांट देने से मना करने या ग्रांट देने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र	28 दिन
3*	अनुसूची 5 पैरा 32(1)	पार्ट 2 एच.एम.ओ लाइसेन्स एक्ट के पार्ट 2 के अन्तर्गत लाइसेन्स को नियत या परिवर्तित करने या नियत या परिवर्तित करने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
4	सेक्शन 255(9)	एच. एम. ओ की घोषणा एच. एम. ओ की घोषणा जारी करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
5	सेक्शन 256(4)	एच. एम. ओ की घोषणा एच. एम. ओ की घोषणा को परिवर्तित करने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
6	सेक्शन 73(5)	रेंट रीपेमेंट आर्डर एक्ट के पार्ट 2 के अन्तर्गत रेंट की वापसी के आदेश के लिए कब्जाधारी या एल.एच.ए द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र।	28 दिन
7*	सेक्शन 86(7)	टेम्परेरी एक्समिशन नोटिस एक्ट के पार्ट 3 के अन्तर्गत टेम्परेरी एक्समिशन नोटिस को स्वीकार करने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
8*	अनुसूची 5 अनुच्छेद 31(1)	पार्ट 3 हाउस लाइसेन्स एक्ट के पार्ट 3 के अन्तर्गत लाइसेन्स के ग्रांट देने से मना करने या ग्रांट देने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
9*	अनुसूची 5 अनुच्छेद 32(1)	पार्ट 3 हाउस लाइसेन्स एक्ट के पार्ट 3 के अन्तर्गत लाइसेन्स को नियत या परिवर्तित करने या नियत या परिवर्तित करने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।	28 दिन
10	सेक्शन 96(5)	रेंट रीपेमेंट आर्डर एक्ट के पार्ट 3 के अन्तर्गत रेंट की वापसी के आदेश के लिए कब्जाधारी या एल.एच.ए द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं

अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)

शब्दों का संक्षिप्त रूप :

एल.एच.ए = लोकल हाउसिंग एथोरिटी

एच. एम. ओ = हाउसेस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
1	(ए) एक्ट के सेक्शन 62(1) के अधीन एल.एच.ए को जारी अधिसूचना की प्रतिलिपी तथा (बी) एक्ट के सेक्शन 62(6) के अधीन एल.एच.ए के निर्णय की सूचना की प्रतिलिपी
2	(ए) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस के ग्रांट व टर्म से सम्बन्धित हो: i. अनुसूची के अनुच्छेद 1 तथा 7 के अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी तथा ii. लाइसेंस की प्रतिलिपी तथा (बी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस के ग्रांट को मना करता हो - अनुसूची के अनुच्छेद 5 तथा 8 के अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी
3	(ए) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को परिवर्तित करने के फैसले से सम्बन्धित हो- अनुसूची 5 के अनुच्छेद 14 तथा 16 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी। (बी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को परिवर्तित करने से मना करने से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची के अनुच्छेद 19 तथा 21 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी। (सी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को निरस्त करने के फैसले से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची 5 के अनुच्छेद 22 तथा 24 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी। (डी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को निरस्त करने से मना करने से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची के अनुच्छेद 26 तथा 28 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी। (इ) किसी भी केंस में लाइसेंस की प्रतिलिपी।
4	(ए) एच. एम. ओ की घोषणा की प्रतिलिपी ।
5	(ए) एच. एम. ओ की घोषणा की प्रतिलिपी तथा (बी) एल.एच.ए के नोटिस के फैसले की प्रतिलिपी जिसमें एच. एम. ओ की घोषणा निरस्त नहीं किया जा सकता
6	(ए) जहां प्रार्थना पत्र एल.एच.ए द्वारा बनाया गया हो : i. सेक्शन 73(7) के अन्तर्गत कार्यविधि के इरादे के नोटिस की प्रतिलिपी तथा ii. नोटिस के संदर्भ में प्राप्त किसी भी निवेदन की प्रतिलिपी तथा iii. या फिर एक व्यान उस व्योरे को शामिल करते हुये जिस पर निर्भर किया गया था जब आरोप लागाया गया था कि एक्ट के सेक्शन 72(1) के अन्तर्गत अपराध किया गया है। या जहां एल.एच.ए एक्ट के सेक्शन 74 की धारा को स्वीकार करता हो । जहाँ साबित होता हो कि एक्ट के सेक्शन 72(1) के अन्तर्गत अपराध करने वाला उपयुक्त व्यक्ति बंदी हो

जारी.....

अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
6	<p>तथा</p> <p>iv. एक दस्तावेज जो ये दिखाता हो कि स्थान का कब्जा देते समय एल.एच.ए द्वारा हाउसिंग लाभ दिया गया उस दौरान यह दोष लगाया जा चुका था कि अपराध इरादतन किया गया ।</p> <p>(ए) जहां प्रार्थना पत्र कब्जाधारी द्वारा प्रदत्त हो ।</p> <p>i. साक्ष्य एकट के सेक्शन 72 (1) के अन्तर्गत अपराध करने वाला उपयुक्त व्यक्ति बंदी था या आवश्यक यह था कि रेंट रीपेमेंट आर्डर द्वारा हाउसिंग लाभ के संदर्भ में भुगतान लिया जाए ।</p> <p>ii. साक्ष्य की स्थान का कब्जा देने के संदर्भ में कब्जाधारी वजे समयानुसार दे दिया गया इस दौरान यह दोष लगाया गया कि वह भुगतान दोष या अपराध इरादतन किया जा रहा था ।</p>
7	<p>(ए) एकट के सेक्शन 86 (1) के अधीन एल.एच.ए को नोटिस के फैसले की प्रतिलिपी</p> <p>(बी) एकट के सेक्शन 86 (6) के अधीन एल.एच.ए के निर्णय की सूचना की प्रतिलिपी</p>
8	<p>ए) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस के ग्रान्ट व टर्म से सम्बन्धित हो:</p> <p>i. अनुसूची 5 के अनुच्छेद 1 तथा 7 के अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी तथा उसी अनुसूची के अनुच्छेद 3 की कोई अन्य सूचना तथा</p> <p>ii. लाइसेंस की प्रतिलिपी</p> <p>(बी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस के ग्रान्ट को मना करता हो -</p> <p>i. अनुसूची 5 के अनुच्छेद 5 तथा 8 के अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी ।</p>
9	<p>(ए) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को परिवर्तित करने के फैसले से सम्बन्धित हो- अनुसूची 5 के अनुच्छेद 14 तथा 16 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी ।</p> <p>(बी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को परिवर्तित करने से मना करने से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची के अनुच्छेद 19 तथा 21 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी ।</p> <p>(सी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को निरस्त करने के फैसले से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची के अनुच्छेद 22 तथा 24 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी ।</p> <p>(डी) जहां प्रार्थना पत्र लाइसेंस को निरस्त करने से मना करने से सम्बन्धित हो- उस अनुसूची के अनुच्छेद 26 तथा 28 अन्तर्गत एल.एच.ए की सूचना की प्रतिलिपी ।</p> <p>(इ) किसी भी कंस में लाइसेंस की प्रतिलिपी ।</p>
10	<p>(ए) जहां प्रार्थना पत्र एल.एच.ए द्वारा बनाया गया हो :</p> <p>i. सेक्शन 96(7) के अन्तर्गत कार्यविधि के इरादे के नोटिस की प्रतिलिपी</p> <p>तथा</p> <p>ii. नोटिस के संदर्भ में प्राप्त किसी भी निवेदन की प्रतिलिपी</p> <p>तथा</p> <p>iii. या फिर</p> <p>- एक ब्यान उस ब्योरे को शामिल करते हुये जिस पर निरभर किया गया था जब आरोप लगाया गया था कि एकट के सेक्शन 95(1) के अन्तर्गत अपराध किया गया है।</p>

जारी.....

अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
10	<p>या</p> <p>जहां एल.एच.ए एकट के सेक्शन 97 की धारा को स्वीकार करता हो। जहाँ साबित होता हो कि एकट के सेक्शन 95(1) के अन्तर्गत अपराध करने वाला उपयुक्त व्यक्ति बंदी हा</p> <p>तथा</p> <p>ए) एक दस्तावेज जो ये दिखाता हो कि स्थान का कब्जा देते समय एल.एच.ए द्वारा हाउसिंग लाभ दिया गया उस दौरान यह द्रोप लगाया जा चुका था कि अपराध इरादतन किया गया।</p> <p>बी) जहां प्रार्थना पत्र कब्जाधारी द्वारा प्रदत्त हो।</p> <p>i. साक्ष्य एकट के सेक्शन 95(1) के अन्तर्गत अपराध करने वाला उपयुक्त व्यक्ति बंदी था या आवश्यक यह था कि रेंट रीपेमेंट आर्डर द्वारा हाउसिंग लाभ के संदर्भ में भुगतान लिया जाए।</p> <p>तथा</p> <p>ii. साक्ष्य की स्थान का कब्जा देने के संदर्भ में कब्जाधारी वजे समयानुसार दे दिया गया इस दौरान द्रोप लगाया गया कि वह भुगतान द्रोप या अपराध इरादतन किया जा रहा था।</p>

NORTHERN RENT ASSESSMENT PANEL

First Floor, 5 New York Street,
Manchester M1 4JB

टैलीफोन:0845 100 2614 or 01612 379491
फैक्स: 0161 237 3656 or 0161 237 9491

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Doncaster, Gateshead, Kirklees, Knowsley, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle-upon-Tyne, Oldham, Rochdale, Rotherham, St. Helens, Salford, Sefton, Sheffield, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Tyneside (North & South), Wakefield, Wigan and Wirral.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland, Darlington, Halton, Blackburn with Darwen, Blackpool, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, Northeast Lincolnshire, North Lincolnshire, Stockton-on-Tees, Warrington and York.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cheshire, Cumbria, Durham, Lancashire, and Lincolnshire.

MIDLAND RENT ASSESSMENT PANEL

2nd Floor, Louisa House, 92-93 Edward Street,
Birmingham B1 2RA

टैलीफोन:0121 236 7837
फैक्स:0121 236 9337

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall and Wolverhampton.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Derby, Leicester, Rutland, Nottingham, Herefordshire, Telford and Wrekin and Stoke-on-Trent.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire and Worcestershire.

EASTERN RENT ASSESSMENT PANEL

Great Eastern House, Tenison Road,
Cambridge CB1 2TR

टैलीफोन:0845 100 2616 or 01223 505112
फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bracknell Forest, West Berkshire, Reading, Slough, Windsor and Maidenhead, Wokingham, Luton, Peterborough, Milton Keynes, Southend-on-Sea and Thurrock.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire and Suffolk.

SOUTHERN RENT ASSESSMENT PANEL

1st Floor, 1 Market Avenue,
Chichester, PO19 1JU

टैलीफोन:0845 100 2617 or 01243 779394
फैक्स:01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bath and Northeast Somerset, Bristol, North Somerset, South Gloucestershire, Bournemouth, Plymouth, Torbay, Poole, Swindon, Medway, Brighton and Hove, Portsmouth, Southampton and the Isle of Wight.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cornwall and the Isles of Scilly, Devon, Dorset, East Sussex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey, West Sussex and Wiltshire.

SOUTHERN RENT ASSESSMENT PANEL

10 Alfred Place,
London WC1E 7LR

टैलीफोन:0845 100 2616 or 01223 505112
फैक्स: 01223 505116

यह आफिस सारी लंडन बारी को कवर करता है।